

समक्ष माननीय विद्यमान उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली

प्रतिज्ञा - पत्र

मैं, प्रतिज्ञार्थी का नाम..... पिता/पति का नाम.....  
आयु.....वर्ष, व्यवसाय..... शिक्षा.....  
निवासी..... तहसील..... जिला..... राज्य.....  
पिन कोड क्र..... फोन क्र..... मो. क्र.....  
फोटो पहचान पत्र का प्रकार..... क्र.....  
ई-मेल..... शपथ पूर्वक कहता / कहती हूँ कि,

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४८ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों तथा बछड़ों एवं अन्य दुधारु और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने अनेक बार इस दिशा में कदम बढ़ाये हैं परन्तु देश आज़ाद होने के बाद से, अभी तक केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है।

कहावत है कि, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी । हमारे भारत देश से लाखों मूक प्राणियों का वध करके उनका मांस एवं चमड़ा निर्यात किया जाता है तथा उस कमाई को देश के विकास में लगाया जाता है। लाखों मूक प्राणियों का वध करके उनका मांस एवं चमड़ा निर्यात करके उनकी आह से कमाई किये हुए धन से कभी भी देश एवं समाज का विकास नहीं हो सकता।

अतः मैं शपथ पूर्वक कहता / कहती हूँ कि, इस सोने की चिड़िया भारत देश से सभी प्राणियों का मांस एवं चमड़े का निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए और अवैध बूचडखानों को तत्काल बंद करा देना चाहिए । जिसके लिए मेरा पूर्ण समर्थन है।

अतः यह प्रतिज्ञापत्र

स्थान : .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर प्रतिज्ञार्थी

सत्यापन

मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य एवं विश्वसनीय है। मैंने यह शपथ पत्र मेरी इच्छानुसार, किसी के दबाव में न आते हुए हस्ताक्षरित किया है।

हस्ताक्षर प्रतिज्ञार्थी